रक्षा संबंधी स्थायी समिति

कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में हुई उल्लेखनीय वृद्धि और शासन की बढ़ती जटिलताओं के कारण संसद को विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए काफी हद तक इसकी समितियों पर निर्भर होना पड़ा है। चूंकि विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां (डीआरएससी) विशेषज्ञता प्राप्त इकाइयां हैं जिन्हें मंत्रालय/विभाग की विशिष्ट निगरानी का श्रमसाध्य और जटिल कार्य सौंपा गया है, संसद अपना अधिकांश कार्य इन्हीं समितियों के माध्यम से करती है। रक्षा संबंधी स्थायी समिति वर्तमान में विभागों से संबद्ध 24 स्थायी समितियों में से एक है, जिसका गठन लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331(ग) के अंतर्गत किया गया है। समिति के क्षेत्राधिकार में रक्षा मंत्रालय आता है जिसके पास निम्नलिखित पाँच विभाग हैं–

(एक) रक्षा विभाग;

(दो) रक्षा उत्पादन विभाग;

(तीन) रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग;

(चार) भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग; और

(पाँच) सैन्य कार्य विभाग।

समिति की संरचना

इस समिति में 31 सदस्य होते हैं जिसमें से 21 सदस्य अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा लोक सभा से नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं और 10 सदस्य सभापति, राज्य सभा द्वारा राज्य सभा से नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं। अध्यक्ष, लोक सभा से आने वाले समिति के सदस्यों में से समिति का सभापति नियुक्त करते हैं। समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अनधिक होता है।

समिति के कृत्य

समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं–

(क) रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार करना, तत्संबंधी प्रतिवेदन तैयार करना और उन्हें संसद में प्रस्तुत करना;

(ख) रक्षा मंत्रालय से संबंधित ऐसे विधेयकों की जांच करना जो अध्यक्ष, लोक सभा अथवा सभापति, राज्य सभा, जैसा भी मामला हो, द्वारा समिति को सौंपे गए हों और उनके संबंध में प्रतिवेदन तैयार करना;

(ग) रक्षा मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना; और

(घ) दोनों सदनों में प्रस्तुत राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घावधि नीति दस्तावेजों, जो अध्यक्ष, लोक सभा अथवा राज्य सभा के सभापति यथास्थिति, द्वारा समिति को सौंपे गए हों, पर विचार करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

समिति का कार्यकरण

अनुदानों की मांगों पर विचार करने संबंधी प्रक्रिया

सभा में बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के पश्चात् लोक सभा को एक नियत अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है। उपर्युक्त अवधि के दौरान, समिति अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार करती है और प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है/सभा पटल पर रखती है। अनुदानों की मांगों संबंधी प्रतिवेदन में किसी भी प्रकार के कटौती प्रस्ताव का सुझाव नहीं दिया जाता। सदन अनुदानों की मांगों पर समिति के प्रतिवेदनों के आलोक में विचार करता है।

विधेयकों पर विचार करने संबंधी प्रक्रिया

समिति दोनों में से किसी भी सदन में पुरःस्थापित सिर्फ ऐसे विधेयकों पर विचार करती है जिन्हें अध्यक्ष, लोक सभा अथवा सभापति, राज्य सभा, यथास्थिति, द्वारा भेजा गया हो। समिति उसको भेजे गए विधेयकों के सामान्य सिद्धांतों और खंडों पर विचार करती है और दिए गए समय के अंदर तत्संबंधी प्रतिवेदन देती है।

वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच संबंधी प्रक्रिया

समिति रक्षा मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदनों के आधार पर जांच हेतु अन्य विषयों का चयन भी करती है।

इसके अतिरिक्त, आम तौर पर कार्यकाल की शुरुआत में समिति गहन जांच और तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने

के लिए मूल विषयों का भी चयन करती है, जो मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदनों पर आधारित हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं।

समिति के प्रतिवेदन आमतौर पर एकमत प्रकृति के होते हैं लेकिन 'विमत टिप्पण' किसी भी सदस्य द्वारा दिया जा सकता है जो प्रतिवेदन का हिस्सा बन जाते हैं।

राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घावधि नीति दस्तावेजों की जांच संबंधी प्रक्रिया

समिति संसद को प्रस्तुत राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घावधि नीति दस्तावेजों, जो अध्यक्ष, लोक सभा अथवा सभापति, राज्य सभा द्वारा समिति को सौंपे जाते हैं, पर विचार करती है और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है।

उप-समितियों/अध्ययन समूहों का गठन

समिति अपने द्वारा चयनित विषयों का विस्तृत अध्ययन/जांच करने तथा मूल प्रतिवेदनों में अंतर्विष्टि टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई की जांच करने और प्रक्रियागत एवं सामान्य मामलों पर विचार करने के मद्देनजर समिति के सदस्यों में से उप-समितियों/अध्ययन समूहों का गठन कर सकती है। समिति का सभापति उप-समिति/अध्ययन समूह के सदस्यों में से संबंधित उप-समिति/अध्ययन समूह का सभापति/संयोजक/वैकल्पिक संयोजक नियुक्त करेगा।

तत्स्थानिक दौरे/अध्ययन दौरे

जांचाधीन विषयों से संबंधित विभिन्न पहलुओं का प्रत्यक्ष अनुभव करने के उद्देश्य से समितियां अथवा इसकी उप-समिति(समितियां)/अध्ययन समूह, अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से, यदि आवश्यक हो, समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाली विभिन्न संस्थाओं और प्रतिष्ठानों का तत्स्थानिक दौरा कर सकती हैं।

प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

जांच किए गए विषयों पर समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें उनके प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट होती हैं जिन्हें समिति द्वारा स्वीकार

किए जाने तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा तथ्यात्मक सत्यापन किए जाने के पश्चात् सभापति और प्राधिकृत सदस्यों द्वारा लोक सभा को प्रस्तुत किया जाता है/राज्य सभा के पटल पर रखा जाता है। समितियों की बैठकों के कार्यवाही सारांश भी प्रतिवेदनों के साथ सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं।

की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन

समिति की सिफारिशें प्रत्ययकारी महत्व की होती हैं और यह उनके द्वारा दी गई सुविचारित राय मानी जाती है। समिति की सिफारिशों के आलोक में, दोनों सदनों द्वारा अनुदानों की मांगों और विधेयकों, जिन पर समिति द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, पर विचार किया जाता है। अनुदानों की मांगों, राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घावधि नीति दस्तावेजों और अन्य विषयों संबंधी प्रतिवेदनों के संबंध में रक्षा मंत्रालय को प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर कार्रवाई करनी होती है और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के तीन महीने के भीतर की-गई-कार्यवाही उत्तर प्रस्तुत करने होते हैं। समिति द्वारा रक्षा मंत्रालय से प्राप्त की-गई-कार्यवाही टिप्पणों की जांच की जाती है और उस पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं/राज्य सभा के पटल पर रखे जाते हैं।

समिति की कार्यवाहियों, प्रारूप प्रतिवेदनों और कार्यवाही सारांशों को संबंधित प्रतिवेदनों को संसद में प्रस्तुत किए जाने तक गोपनीय माना जाता है।

लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 73क के तहत मंत्री द्वारा दिया जाने वाला वक्तव्य

निदेश 73क के अनुसार, संबंधित मंत्री अपने मंत्रालय के संबंध में डीआरएससी के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संदर्भ में सदन में छह महीने में एक बार वक्तव्य देता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि स्थायी समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही के लिए सरकार में सर्वोच्च स्तर पर ध्यान दिया जाए।

समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन

रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने अब तक संसद को 181 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। लोक सभा-वार ब्यौरा निम्नलिखित है–

लोक सभा	कार्यकाल	प्रस्तुत प्रतिवेदन			
		अनुदानों की मांगें	विषय	विधेयक	की गई कार्रवाई प्रतिवेदन
दसवीं लोक सभा*	1991-1996	03	02	–	03
ग्यारहवीं लोक सभा	1996-1998	02	–	02	02
बारहवीं लोक सभा	1998-1999	02	04	–	02
तेरहवीं लोक सभा	1999-2004	04	04	01	12
चौदहवीं लोक सभा	2004-2009	05	14	02	15
पद्रहवीं लोक सभा	2009-2014	05	04	01	12
सोलहवीं लोक सभा	2014-2019	20	05	–	25
सत्रहवीं लोक सभा	2019 से अगस्त 2022 तक	16	–	–	14
कुल		57	33	06	85
कुल योग			181		

*इस समिति का गठन पहली बार दसवीं लोक सभा के दौरान 8 अप्रैल, 1993 को हुआ था।

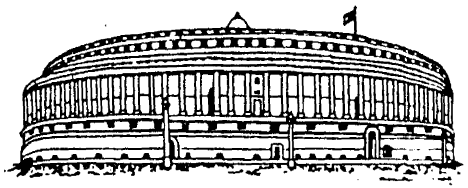

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
सितम्बर, 2022/भाद्रपद, 1944 (शक)